



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1367/2026/556/22-2-2026-17(903)/2023
लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मदन (बन्दी संख्या-17527) पुत्र स्व0 रज्जन, निवासी नई बस्ती बंगलावीर, थाना-कोतवाली, जनपद-कन्नौज, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-1596/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0, कोर्ट सं0-41, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 13.07.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.08.2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बन्दी द्वारा दिनांक 24.10.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह 25 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 03 माह 17 दिन की भोगी गयी सजा एवं अच्छे जेल आचरण को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1367/2026/556(1)/22-2-2026 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
- 3- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।